

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 466 /2020 दिनांक : 10.02.2020

श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.02.2020 से 29.02.2020 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.03.2020 के रापजत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



07.2.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/12/1993/ 950

दिनांक : 10.02.2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 13 दिनांक 22.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम 02, चित्तौड़गढ़ ।



सहायक रजिस्ट्रार